संख्या-16/2021/123274/38-7002(002)/1/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 11 जून 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सामग्री एवं प्रशासनिक मद में प्रथम भाग के प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश संख्या-जे-14037/02/2021-आरई-।(एसएल.नं0-04), दिनांक: 21-05-2021 द्वारा सामग्री एवं प्रशासनिक मद में निर्गत केन्द्रांश के प्रथम भाग की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8,87,55.32 लाख(रूपये आठ अरब सत्तासी करोड़ पचपन लाख बत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 1,19,34.00 लाख(रूपये एक अरब उन्नीस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) प्रशासनिक मद में तथा अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 7,68,21.32लाख(रूपये सात अरब अड़सठ करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र) में से (वित्तीय वर्ष 2020-21 की लम्बित देयता हेतु सामग्री मद में रू0 4,05,60.75 लाख(रूपये चार अरब पांच करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सामग्री मद के केन्द्रांश की धनराशि रू0 3,62,60.57 लाख (रूपये तीन अरब बासठ करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार मात्र) तथा उक्त के समतुल्य 1/3 मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 2,56,07.10666 लाख (रूपये दो अरब छप्पन करोड़ सात लाख दस हजार छः सौ छाछठ मात्र)को सम्मिलित करते हुए उपर्युक्तमुसार कुल धनराशि रू0 11,43,62.42666 लाख(रूपये ग्यारह अरब तैंतालिस करोड़ बासठ लाख बयालिस हजार छः सौ छाछठ मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजटीय व्यवस्थानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- **प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**
2- **स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
3- **योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।**
4- **आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।**
5- **वित्तीय स्वीकृति के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
6- **प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
7- **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु अपेक्षयकतानुसार किया जायेगा। आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**

http://shasandesh.up.gov.in

8- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के केन्द्रांश स्वीकृति आदेश दिनांक 21-05-2021 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

12- धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक: 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-75/रा.25-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- 1362626 दिनांक 09 जून, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 16 /2021/DFA/123274(1)/अड़तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shodhganga.inflibnet.ac.in